संख्या-4/2018/544/43-1-2018

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
उ0प्र0 सूचना आयोग,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक : 11 अप्रैल, 2018

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ०प्र० सूचना आयोग के आवश्यक व्ययों को वहन किये जाने हेतु वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, लखनऊ के आवश्यक व्ययों को वहन किये जाने हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित निम्न विवरणानुसार रु० 14,22,00,000 (रुपए चौदह करोड़ बाईस लाख मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखें जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है :-

(रूपये लाख में)

मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	स्वीकृत धनराशि
01- वेतन	600.00	600.00
03- मंहगाई भत्ता	60.00	60.00
04- यात्रा व्यय	7.00	7.00
06- अन्य भत्ते	40.00	40.00
07- मानदेय	0.50	0.50
08- कार्यालय व्यय	100.00	100.00
09- विद्युत देय	80.00	80.00
11- लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	9.00	9.00
12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5.00	5.00
13- टेलीफोन पर व्यय	6.00	6.00
15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	26.00	26.00
16- व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	280.00	280.00
17- किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	25.00	25.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

18- प्रकाशन	1.00	1.00
19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.00	2.00
22- आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि	1.00	1.00
29- अनुरक्षण	76.00	76.00
44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.00	10.00
45- अवकाश यात्रा व्यय	20.00	20.00
46- कंप्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	11.00	11.00
47- कंप्यूटर अनुरक्षण/तद्सबन्धी स्टेशनरी का क्रय	13.00	13.00
49- चिकित्सा व्यय	3.00	3.00
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	46.50	46.50
योग	**1422.00**	**1422.00**

(रुपए चौदह करोड़ बाईस लाख मात्र)

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी शासनादेशों एवं वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1) के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिए गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-46 के अधीन लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-उ0प्र0 सूचना आयोग का गठन" के सुसंगत इकाइयों के नामें डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं०-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में प्रतिनिहीत अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एन0 शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2-महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक)अनु-1/2 उ0प्र0 शासन।
5-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0आर0 यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in